अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक / विकास / 2025 / 242 रीवा दिनांक : 02-04-2025

प्रति,

अध्यक्ष / प्राचार्य
राजीव गांधी महाविद्यालय
बैढ़न, जिला सिंगरौली (म.प्र.)

विषय – अस्थायी सम्बद्वता नवीनीकरण सत्र 2024–2025 विषयक।

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 05–02–2025 के आइटम क्रमांक 3(32) की अनुशंसा एवं माननीय कुलगुरु जी द्वारा अधिनियम की धारा 15(4) के अन्तर्गत किये गये अनुमोदन तथा परिनियम 27 के अनुसार, आपके महाविद्यालय को सत्र 2024–2025 कक्षा / विषयों में अस्थायी सम्बद्वता का नवीनीकरण किया जाता है –

क्र.	कक्षा / विषय
1	बी.काम. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष अनिवार्य विषय कम्प्यूटर एप्लीकेशन एवं टेक्सेसन–120–120–120सीट।
2	बी.एससी. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष आधार पाठ्यक्रम, रसायनशास्त्र, बाटनी, जीवविज्ञान, बायेटेक्नालाजी –120–120–120सीट।
3	बी.ए. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष आधार पाठ्यक्रम, हिन्दी साहित्य, समाजशास्त्र, कम्प्यूटर एप्लीकेशन–160सीट।

नोट –

1. कालेज कोड 28 के अन्तर्गत प्राचार्य एवं सभी विषयों में शिक्षकों की नियुक्ति करें।
2. अधोसंरचना, कक्षा, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, खेल का मैदान उन्नत करें।

उपर्युक्त शर्तो की पूर्ति कर पालन प्रतिवेदन 03 माह के अन्दर आवश्यक रूप से पूर्ण कर 100=00 रुपये के स्टाम्प पर शपथपत्र दिया जाय कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी सत्य है, अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजने का कष्ट करें अन्यथा आगामी सत्र 2025–2026 से छात्रों का प्रवेश बन्द करते हुए महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की सूचना शासन को भेजी जावेगी।

आदेशानुसार
कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ –

1. परीक्षा नियंत्रक, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।
2. सहायक कुलसचिव–परीक्षा, गोपनीय।
3. विभागाध्यक्ष, डिपार्टमेंट आफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
4. प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।
5. कुलगुरु जी के सचिव / कुलसचिव के निज सहायक।

सहायक कुलसचिव (विकास)